

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/ 870 /

जबलपुर, दिनांक 11 / 03 / 2022

IV-12-14/80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार कॉलम नं. 3 की दिनांक से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र. | नाम व पद  | गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति हेतु दिनांक |
|------|---|--------------------------------------|
| (1)  | (2)   | (3)                                  |
| 1    | श्री शंकर लाल मरावी, कोर्ट अटेंडेन्ट                  | 11.02.2022                           |
| 2    | श्री राधेश्याम वरकड़े, नवगठित सेवा के सदस्य (माली)    | 02.02.2022                           |
| 3    | श्री जागेश सिंह मरावी, नवगठित सेवा के सदस्य (माली)    | 22.01.2022                           |
| 4    | श्री नितेंद्र कुमार उइके, नवगठित सेवा के सदस्य (माली) | 22.01.2022                           |

सही / -  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/ 871 /


जबलपुर, दिनांक 11 / 03 / 2022

IV-12-14/80 VII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

6. श्री शंकर लाल मरावी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  7. श्री राधेश्याम वरकड़े, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  8. श्री जागेश सिंह मरावी, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  9. श्री नितेंद्र कुमार उइके, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शनी शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)  
॥